बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक................................./पटना, दिनांक...
03/नि0(राज्य स्तरीय बैठक)–10/2024

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय: **वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार–प्रसार मद अंतर्गत दिनांक 16.07.2024 को अधिवेशन भवन, पटना में आहुत राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में आरक्षण एवं भोजन मद में कुल व्यय जी0एस0टी0 सहित 4,79,565/– (चार लाख उन्नासी हजार पाँच सौ पैंसठ) रूपये मात्र की प्रतिपूर्त्ति बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना को करने के निमित्त निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश:– **स्वीकृत**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार–प्रसार मद अंतर्गत दिनांक 16.07.2024 को अधिवेशन भवन, पटना में आहुत राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक मे आरक्षण एवं भोजन मद में कुल व्यय जी0एस0टी0 सहित 4,79,565/– (चार लाख उन्नासी हजार पाँच सौ पैंसठ) रूपये मात्र की प्रतिपूर्त्ति बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना को करने के निमित्त निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष–2425–सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड–09–2425001050101 विस्तृत शीर्ष–20–अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष–02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के कार्यालय के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे। आहरित की गई राशि को NEFT/RTGS के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना के बचत खाते में जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकृत पत्र की आवश्यकता नहीं है।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, बिहार, पटना के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों / अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या– 03 / नि0(राज्य स्तरीय बैठक)–10 / 2024 पर पृष्ठ संख्या 22 / टि0 दिनांक 17.02.2025 को दी गई है।

8. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका 03 / नि0(राज्य स्तरीय बैठक)–10 / 2024 पर पृष्ठ संख्या 24 / टि0 दिनांक 25.02.2025 को दी गई है।

ह0 / –
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 515 / पटना, दिनांक 28/02/25
03 / नि0(राज्य स्तरीय बैठक)–10 / 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
2. वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं बजट शाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अविश्रव के प्रति के साथ / अवर सचिव, योजना एवं बजट प्रशाखा–03, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई0 टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

27.02.2025

27.02.25

सरकार के अपर सचिव।